(2010) 8 एस.सी.आर. 733

भारत संघ और अन्य

बनाम

कुमारी प्रीतिलता नंदा

(2010 की सिविल अपील संख्या 5646)

16 जुलाई 2010

[जी.एस. सिंघवी और अशोक कुमार गांगुली, जे.जे.]

सेवा कानून

रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959:

धारा 4-नियुक्ति-रोजगार कार्यालय की रिक्तियाँ अधिसूचित की जाँएगी- रोजगार कार्यालय में पंजीकृत एक दिव्यांग उम्मीदवार, यद्यपि चयनित, फिर भी यह कहते हुए नियुक्ति देने से इनकार कर दिया कि उसने अपना नाम रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित नहीं कराया था- ऑयोजितः विज्ञापन में विहित शर्त कि उम्मीदवार को अपना नाम रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित

करवाना चाहिए की तुलना किसी कानून में शामिल अनिवार्य प्रावधान के साथ नहीं की जा सकती -सम्बंधित व्यक्ति को दंडात्मक परिणाम भुगतना पड़ सकता है-धारा 4-यह स्पष्ट करती है कि भले ही नियोक्ता को रिक्तियों को रोजगार कार्यालयों को सूचित करना आवश्यक है यह केवल उन लोगों को भर्ती करने के लिए बाध्य नहीं है जो रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रायोजित हैं-संबंधित प्राधिकारियों ने दावेदार को केवल इस आधार पर कि उसने अपना नाम किसी रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित नहीं कराया था, नियुक्ति देने से इन्कार करके गंभीर अवैधता की है। यह न तो प्राधिकारियों की गुहार थी ना ही उनके द्वारा प्रस्तुत की गई है यह साबित करने के लिए कि अधिसूचना विज्ञापन उड़ीसा राज्य में विशेष कार्यालय सहित सभी रोजगार कार्यालयों को भेजा गया था -दावेदार के चयन व योग्यता सूची में स्थापन के बावजूद उसे नियुक्ति देने से इंकार करके नियोक्ता ने संविधान के अनुछेद 16 में दिये गये रोजगार के समानता के अधिकार का उल्लंंघन किया है। भारत का संविधान 1950- अनुच्छेद 16

सेवा कानून

बकाया वेतन और वरिष्ठता -एक दिव्यांग अभ्यर्थी को अवैध रूप से नियुक्ति से वंचित किया गया- उच्च न्यायालय द्वारा दावेदार को नियुक्ति योग्यता क्रम सूची में उनके नीचे के अभ्यर्थी की नियुक्ति की दिनांक से देने के निर्देश दिये, पूर्ण बकाया वेतन व वरिष्ठता सहित-आयोजित जबकि उच्च न्यायालय नियोक्ताओ के दावेदार को उस दिनांक से जिस दिन योग्यता में नीचे वाले व्यक्ति को नियुक्त किया गया, नियुक्त करने के निर्देश देने में पूरी तरह से न्यायसंगत था परन्तु पूर्वव्यापी प्रभाव से पूरे वेतन का भुगतान का निर्देश अनुमोदित नहीं किया जा सकता-उच्च न्यायालय को नियोक्ताओ को दावेदार का वेतन काल्पनिक रूप से उस दिनांक से जिस दिन योग्यता क्रमसूचि में उससे नीचे वाले व्यक्ति को नियुक्त किया गया से करने के निर्देश देने चाहिए थे और उसे उस दिनांक से समस्त मौद्रिक लाभ देने चाहिए थे- दावेदार की वरिष्ठता योग्यता सूची उनके स्थान के अनुसार तय की जाएगी। यदि बीच की अवधि के दौरान, दावेदार से कोई भी व्यक्ति जो कनिष्ठ रहा हो, अगले उच्च पद पर पदोन्नत हो गया हो तो पदोन्नति के लिए उसकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा और उसके उपयुक्त पाये जाने पर उसे उसके कनिष्ठ के पदोन्नत होने की दिनांक से पदोन्नत किया जायेगा, सभी परिणामों लाभों सहित-चूंकि दावेदार लगभग 21 वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित है, नियोक्ताओ को उसकी लागत

3,00,000/- रूपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया-लागत भारत संघ बनाम एन हरगोपाल 1987 (2)एस सी आर 911 (1987)3 एस सी सी 308, आबकारी अधीक्षक मालकापटनम, जिला कृष्णा, ए.पी.बनाम के.बी.एन विश्वेश्वरराव ए.पी. बनाम के.बी.एन. विश्वेश्वर राव और अन्य 1996 (5) जी सप्लीमेंट्री. एससीआर 73=(1996) 6 एससीसी 216; सुशांत कुमार बनाम (न्यायिक) रजिस्ट्रार, उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक 83(1997) सीएलटी 335, पर भरोसा किया।

जैकब एम. पुथुपराम्बिल और अन्य बनाम केरल जल प्राधिकरण एवं अन्य

1990 (1) सप्लीमेंट्री एससीआर 562=(1991) 1 एस सी सी 28, निर्दिष्ट

केस कानून संदर्भ:

1990 (1) सप्लीमेंट्री एससीआर 562 निर्दिष्ट	पैरा 5
1996 (5) सप्लीमेंट्री एससीआर 73 पर निर्भर	पैरा 10
83(1997) सीएलटी 335 पर निर्भर	पैरा 10
1987 (2) एससीआर 911 पर निर्भर	पैरा 16

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5646/2010

उड़ीसा में गुजरात उच्च न्यायालय के अपील संख्या 9958/2001 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 05.08.2008 से उत्पन्न।

मोहन जैन, डी.के. ठाकर, रोहिणी मुखर्जी, सुभाष कौशिक, ए.के. शर्मा, सुषमा सूरी वास्ते अपीलांट

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सुनाया गया

आदेश

1. स्वीकृत. अनुमति प्रदत्त

2. भारत संघ और दक्षिण पूर्व रेलवे के चार पदाधिकारियों द्वारा उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के विरूद्ध दायर अपील में एक मात्र जो विचार हेतू उत्पन्न होता है कि क्या प्रत्यर्थी कुमारी प्रीतिलता नंदा जो कि शारीरिक रूप से विकलांग है उन्हें प्राधिकारी द्वारा चयनित करने के बावजूद केवल इस आधार पर कि उसने अपना नाम किसी रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित नहीं कराया था, तृतीय श्रेणी पद की नियुक्ति से वंचित किया जा सकता है

3. मानव जाति की स्थापना के बाद से कई लाख लोग विभिन्न प्रकार की शारीरिक विकलांगताओ से पीड़ित है (आज लगभग 60 करोड़ लोग ऐसी विकलांगताओं से पीड़ित हैं), लेकिन उनमें से कई ने सभी प्रकार की बाधाओ से जूझते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता हासिल की। सारा बर्नहार्ट-घुटने की चोट से दिव्यांग थी। 1914 में उनका पैर काट दिया गया

था लेकिन अपनी मृत्यु से ठीक पहले तक वह मंच पर काम करना जारी रखा। जब बीथोवेन बधिर थे जब उन्होंने 9 वीं स्वर क्षमता की रचना की थी। बी विंस्टन चर्चिल, वॉल्ट डिज़्नी, थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, नेल्सन रॉकफेलर, जॉर्ज वाशिंगटन और कई अन्य लोगों में सीखने की अक्षमता थी। स्टीव वंडर जो अपने बचपन में अंधे हो गये थे वह दुनिया के प्रसिद्ध गायक व पियानोवादक बने ।, ब्रेल, जो एक अंधे थे, उन्हें अंधों के लिए लिपि का अविष्कार करने का गौरव प्राप्त हुआ। ब्रेल लिपि की सहायता से बड़ी संख्या में दिव्यांगो (अंधो) ने जीवन में जबरदस्त उपलब्धि हासिल की। डॉ हेलेन केलर जो अंधी थी वह एक अंतरराष्ट्रीय हस्ती बन गईं क्योंकि दिव्यांग होने के बावजूद उन्होने अपनी उंगलियों के माध्यम से दुनिया की खोज की उनकी कठिन लक्ष्यों की उपलब्धियां और उनकी प्रेममय दयालुता ने उनके जीवन को दुनियाभर के अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा बना दिया। डॉ. हेलेन केलर के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए ऐलेनोर रूजवेल्ट ने लिखा

" अपने जीवन में और जीवन में खुशी, मिस केलर ने हममें से बाकियों को अविस्मरणीय सबक सिखाया है जिन्हें ऐसी कठिनाइयों से पार पाना नहीं पड़ता है। राल्फ बार्टन पेरी ने डॉ. केलर की पुस्तक 'द स्टोरी ऑफ माई लाइफ' के परिचय में लिखा है, "यह सच है कि हेलन केलर वास्तव में विकलांग हैं, जो नहीं है लेकिन वह जो उसे अलग करता है वह उसकी बाधा नहीं है, बल्कि जिस हद तक उसने उसे पार किया है और इससे लाभ

भी कमाया है। वह सहानुभूति व समझ की मांग करती है न कि दया की। प्रशंसा और कृतज्ञता महसूस किए बिना कोई भी उसे जान या पढ नही सकता। सूरदास और मिल्टन जो दोनों ही नेत्रहीन थे ने कविता को अपनी प्रतिभा, भाषा और विचारों की बहुतायत से महान बनाया। महान वैज्ञानिक और आविष्कारक एडिसन बधिर थे। इंग्लैण्ड के महान कवि बायरन और मंगोलियन तैमुर लेंग योद्धा पंगु थे। महाराजा रणजीत सिंह, एक महान योद्धा और प्रशासक नेत्र दृष्टि से विकलांग थे। मुकट बिहारी जी लाल, देश के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित वकील थे जो कम उम्र में ही नेत्रहीन हो गए थे ने अद्भुत स्मृति अर्जित की और असाधारण प्रतिभा के साथ एक के बाद एक मुकदमें बहस किए। वह दो दशकों तक संसद के सदस्य भी रहे और उन्हें उस क्षमता में अपनी प्रतिभा का निर्वहन करने में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा।

4. संविधान निर्माताओं ने दिव्यांगों को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता को पहचाना, राज्य के लिए अपनी आर्थिक सीमा और विकास की सीमा के भीतर अनिवार्य बनाकर किसी काम के अधिकार को सुरक्षित करने शिक्षा और बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता, वृद्धावस्था, बीमारी, दिव्यांगता और अवांछित चाहत के अन्य मामलों में, प्रभावी प्रावधान को (अनुच्छेद 41)

5. जैकब एम. पुथुपराम्बिल और अन्य बनाम केरल/जल प्राधिकरण एवं अन्य (1991) 1 एससीसी 28, में इस न्यायालय ने संविधान के III और भाग IV दोनों के महत्व पर निम्नलिखित शब्दों में प्रकाश डालाः

" संविधान की प्रस्तावना राज्य को अपने सभी नागरिकों को राजनीतिक न्याय के अलावा सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करती है। बयालीसवें संशोधन द्वारा, संविधान की संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया कि हमारा एक समाजवादी लोकतंत्र होगा। इन वादों को आगे बढाने में कुछ मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में उत्कीर्ण किया गया। संविधान समानता की गारंटी देता है, संविधान की भेदभाव से घृणा करता है, किसी भी तरह से जो भी जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है और दंडित करता है और बाल श्रम सहित श्रम के शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है इन गारंटियों को दूसरे शब्दों के बीच विस्तारित करने के बाद संविधान निर्माताओ ने देश के शासन की दिशा तय करने के लिए क्रमशः राय के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग IV में आगे बढे, यह सिद्धांत लोगों की आशाओ और आंकाक्षाओ को दर्शाते है। हांलांकि इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नही किये जा सकते, वहां निर्धारित सिद्धांत फिर भी देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने मे उन्हें लागू करना राज्य का दायित्व है

इसलिए उसमें निर्धारित सिद्धांत परिभाषित करते है कि राज्य को समय के साथ उददेश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए, जब भी राज्य को कानून बनाने की आवश्यकता है, उसे लगातार ऐसा करना चाहिए इन सिद्धांतों के साथ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की दृष्टिसे समतामूलक समाज की स्थापना के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है इसलिए यह भाग इसे अनिवार्य बनाता है कि राज्य लोगों के कल्याण को बढावा देने का प्रयास करेगा आय में असमानताओ को कम करने और स्थिति सुविधाओं और अवसर की असमानताओ को दूर करेगा और अपनी नीति को सुरक्षित करने की दिशा में निर्दशित करके दूसरों के बीच सामान्य भलाई की सेवा में समुदाय के भौतिक संसाधनों का वितरण करके, इस प्रकार आर्थिक व्यवस्था संचालित करके ताकि धन का संकेन्द्रण न हो सके और काम करने का अधिकार सुरक्षित करने के साथ-साथ बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता के लिए प्रभावी प्रावधान करना, यद्यपि अपनी आर्थिक क्षमताओं की सीमा के भीतर। कुछ अन्य प्रावधान भी है जो राज्य को कुछ कर्तव्य सौंपते है उदाहरणार्थ सभी श्रमिकों के काम को सुरक्षित करना, जीवित मजदूरी, काम की उचित और मानवीय स्थितियां, जीवन का एक सभ्य मानक, प्रबंधन आदि में भागीदारी जिसका उददेश्य बहुत सारे श्रमिक वर्ग का सुधार करना है। इस प्रकार प्रस्तावना सामाजिक- आर्थिक न्याय का वादा करती है, मौलिक अधिकार कुछ न्यायसंगत सामाजिक-आर्थिक अधिकार प्रदान करते है और निर्देशक

सिद्धांत सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य तय करते है जिन्हें प्राप्त करने के लिए राज्य को प्रयास करना चाहिए। यह तीनों मिलकर संविधान के मूल और चेतन का निर्माण करते है।

6. पिछले छः दशको में, संसद और राज्य विधानसभाओ ने संविधान के भाग IV के प्रावघानों को प्रभावी बनाने हेतू कई कानून बनाये है लेकिन इन कानूनों का कार्यान्वयन बेहद धीमा रहा है और ऐसे कानूनों के लक्षित लाभार्थियों को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है और कभी कभी बकाया पाने के लिए अदालत से हस्तक्षेप की मांग करते है।

7. डॉ. हेलेन केलर ने अपने एक व्याख्यान में कहा: विज्ञान ने शायद अधिकांश बुराइयों इलाज ढूंढ लिया है लेकिन इसने उन सभी में से सबसे खराब स्थिति का कोई इलाज नहीं खोजा है- मनुष्य की उदासीनता यह अपील उदाहरणादर्शक संवेदनशीलता की कमी को दर्शाने वाले कई मामलों में से एक है उन लोगों की ओर से जिन्हें प्रशासनिक पक्ष पर न्याय करने का कार्य सौंपा गया है जो सुशासन हेतू अपरिहार्य है। प्रत्यर्थी जो निचले अंगों के पक्षाघात से पीड़ित है, दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारियों द्वारा अपनाये गये संवैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण दृष्ठिकोण का शिकार हो गयी है और तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्ति के वैध अधिकार से वंचित कर दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी इतनी निराश हो गयी है कि भले ही वह उच्च न्यचायालय को यह समझाने में सफल रही कि सक्षम

प्राधिकारी को उसे पूर्वव्यापी प्रभाव से तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्त करने का निर्देश जारी किया जाए, उसमें उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा ओ.जे.सी. क्रमांक 9958/2001 में प्राप्ति आदेश दिनांक 05.08.2008 के खिलाफ दायर इस अपील में उपस्थित होना और उसका विरोध करना उचित नही समझा है।

8. रेलवे मंडल प्रबंधक दक्षिण पूर्व रेलवे, खुर्दा रोड के कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना/ विज्ञापन दिनांक 31.01.1987 के उत्तर में प्रत्यर्थी ने वर्ग 3 कर्मचारी के पद की नियुक्ति हेतू आवेदन किया। प्रासंगिक समय में उनके पास आनर्स के साथ बी.ए अर्थशास्त्र की योग्यता थी। और रोजगार कार्यालय में पंजीकृत थी। रजिस्ट्रेशन नं. सीडब्ल्यू/750/87 (कोड संख्या एक्सओएल/30)

9. सक्षम प्राधिकारी ने प्रत्यर्थी के आवेदन पर विचार किया और उसे 02.07.1989 को आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी। लिखित परीक्षा में सफल घोषित होने पर, प्रतिवादी को मौखिक आवाज परीक्षण हेतू बुलाया गया। आखिरकार उनका चयन हो गया व उनका नाम मैरिट सूची में क्रम सं. 11 पर रखा गया। इसके बावजूद उन्हें विज्ञापित पदों में से एक पर भी नियुक्त नही किया गया और क्रम सं. 12 एवं 13 पर रखे गये लोगों को नियुक्ति की पेशकश की गयी। प्रत्यर्थी ने दक्षिण पूर्वी रेल्वे के उच्चाधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत की,,

लेकिन सफलता नहीं मिली। उस द्वारा फिर ओ.ए नं. 112, 1996 सेन्ट्रल एडमिनीस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की कटक पीठ (संक्षेप में ट्रिब्यूनल) में अपील दायर की। ट्रिब्यूनल ने एक अंतरिम आदेश पारित किया और यह स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार की कोई भी नियुक्ति ओ.ए के परिणाम के अधीन होगी। मामले की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी के पिता को दक्षिण पूर्वी रेल्वे कोलकाता के महाप्रबंधक द्वारा सूचित किया गया कि उनकी बेटी के केस पर तभी विचार किया जाएगा जब ओ.ए नं. 112, 1996 वापस ले ली जाएगी। इस पर, प्रत्यर्थी ने ओ.ए नं. 112, 1996 वापस ले लिया। हालांकि उनकी उम्मीदवारी को ओ.ए नं. 198, 1997 दाखिल करने पर जरूरी नहीं समझा गया, जिसमें उन्होंने दक्षिण पूर्वी रेलवे के सम्बंधित अधिकारियों को उन्हें तृतीय क्षेणी पद पर नियुक्त करने के लिए निर्देश जारी करने की प्रार्थना की थी। अपीलकर्ताओ द्वारा दायर प्रतिवाद में यह दलील दी गयी थी कि प्रत्यर्थी का चयन होने के बावजूद उसे नियुक्त की पेशकश नही की गयी क्योंकि उसके उम्मीदवारी किसी विशेष रोजगार कार्यालय या किस सामान्य रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित नही की गयी थी।

10. 03.05.2001 के एक आदेश द्वारा ट्रिब्यूनल ने ओ.ए नं. 198/ 1997 को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रत्यर्थी की की उम्मीदवार किसी भी रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित नही थी। ट्रिब्यूनल ने निम्नलिखित टिप्पणियां करके इस न्यायालय के निर्णयों Excise

Superintendent, मालकापटनम, कृष्णा जिला ए.पी.बनाम के.बी.एन. विश्वेवरा व अन्य (1996) 6 एस.सी.सी. और उड़ीसा उच्च न्यायालय के सुशान्ता कुमार कार बनाम रजिस्ट्रार (न्यायिक) उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक 83 (1997) सी.एल.टी 335 को अलग कियाः एक बार याचिकाकर्ता का आवेदन अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया और उसे लिखित और मौखिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी गयी और उसे मेरिट सूची मे क्रम सं. 11 पर उसका नाम आने के बाद सम्बंधित अधिकारियों के लिए उसे नियुक्ति पत्र जारी करने के लाभ से वंचित करने के उददेश्य से याचिकाकर्ता के आवेदन से सम्बंधित कोई भी प्रशन उठाना अब खुला नही है। हम इसे वैधानिक शक्ति का घोर दुरूपयोग मानते है। मौजूदा मामले में

याचिकाकर्ता की दुर्दशा रिट आवेदन और संलग्न दस्तावेजों में निहित कथनों में स्पष्ट रूप से स्पष्ट है और दुर्भाग्य से अधिकारियों के सवेंदनहीन रवैये भी पार्टी सं. 5 द्वारा दायर जवाबी हल्फनामे में स्पष्ट हैं। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि शारीरिक रूप से दिव्यांग महिला उम्मीदवार, जिसने वर्ष 1989 में आवेदन किया था और 20 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी रेलवे अधिकारियों ने नियक्ति से इंकार कर दिया है, जो कोई और नही बल्कि भारतीय संघ है, जिसे एक आदर्श नियोक्ता माना जाता है।

11. प्रत्यर्थी ने ओ.जे.सी.नं. 9958/2001 में उपरोक्त आदेश को चुनौति थी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ में पक्षकारों की दलीलों का हवाला दिया और कहाः

"रेलवे प्राधिकरण द्वारा उठाये गये उपरोक्त रूख के मध्यनजर, याचिकाकर्ता द्वारा दिये गये कथन निर्विवादित और पुष्ट है। भर्ती प्रक्रिया वर्ष 1987 में एक विज्ञापन के माध्यम से शुरू हुई और उसके बाद लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा 1989 में आयोजित हुई और उम्मीदवारों की चयन सूची 14.01.1992 को प्रकाशित की गयी। वास्तव में यह जानना जरूरी है कि सम्बंधित अधिकारी आम नागरिकों के जीवन व आजीविका के साथ जिस तरह से व्यवहार कर रहे है उसकी बेहद खेदजनक स्थिति है। यह दोहराने की जरूरत हे कि जहां जहां शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों से अधिक दयालू तरीके से सम्पर्क करने की आवश्यकता होती है वही प्राधिकरण ने संवेदनहीन और हृदयहीन तरीके से काम किया है।

12. इसके बाद खंडपीठ ने उन दो निर्णयों का उल्लेख किया जिन पर प्रत्यर्थी ने भरोसा जताया था और कहाः

" यहां दोहराया जा रहा है कि एक बार अदालत ने आयोजित किया कि यदि रोजगार कार्यालय द्वारा अनिवार्य प्रयोजन व्यवस्था, पर जोर दिया जाता है, अभ्यर्थी जो अपना नाम दर्ज करवाने में सक्षम नही हो पाये है या फिर इस प्रकार पंजीकृत होने की प्रतीक्षा कर रहे है पर असर पड़ता है,

यही सिद्धांत सभी अदालतों और न्यायिक न्यायाधिकरणों पर अंतिम और बाध्यकारी है और किसी भी लंबित मामले पर पूरी तरह से लागू होगा। हमारा मानना है कि वर्तमान मामले में ट्रिब्यूनल इस विषय पर उपरोक्त निर्णय को केवल संभावित प्रभाव मानते हुए, भले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाये जाने के बाद भी चुनौती इसके समक्ष लंबित थी, पांडित्यपूर्ण पूर्ण तरीके से विचार किया है। याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया है और विपक्षीदलों द्वारा इंकार नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता ने रोजगार कार्यालय पुरी में अपना नाम पंजीकृत किया था। अपने तर्क के समर्थन में याचिकाकर्ता के योग्य अधिवक्ता ने माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय सुशांता कुमार कार बनाम रजिस्ट्रार (न्यायिक) उडीसा उच्च न्यायालय, कटक, 83, (1997)सी.एल.टी 335 पर भरोसा किया है। उस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उत्पाद अधीक्षक, मालकापटनम, कृष्णा जिला, आंध्रप्रदेश के.बी.एन.विश्वेवरा राव एवं अन्य, 19965 (7) एस.सी.सी. 2015 निर्णय अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने माना है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय में कनिष्ठ सहायक के पद के लिए रोजगार कार्यालय द्वारा अनिवार्य प्रयोजन व्यवस्था उन उम्मीदवारों के हित पर असर देती है जो अपना नाम पंजीकृत नही कर पाये है या पंजीकृत होने की प्रतीक्षा कर रहे है इसलिए विपक्षीगणों को उन अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया, जिन्होंने सीधे उच्च न्यायालय में आवेदन किया है। वर्तमान

मामले के में कांउटर में प्रतिवादियों ने कहा है कि 1997 में आवेदन आमंत्रित किए गये थे और 02.09.1989 को लिखित परीक्षा 28.08.1989 और 06.11.1989 को मौखिक परीक्षा आयोजित की गयी थी। इसमें चयन प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बहुत पहले की गयी थी और इसलिए उपरोक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून वर्तमान मामले पर लागू नही होता है।

हम प्रत्यर्थी के उपरोक्त रूख को स्वीकार करते है और उसे एक पंजीकरण संख्या प्रदान की गयी थी। इसके अलावा, उसके दिव्यांग उम्मीदवार होने के समर्थन में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र के साथ उसके आवेदन के साथ संलग्न किये गये है। हमारा विचार है कि याचिका कर्ता ने रेलवे द्वारा आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन की सभी आवश्यकताओ को पूरा किया और उसके आवेदन को स्वीकार करके और अन्ततः एक चयन सूची तैयार की जिसमें उसका नाम था। उसे नियुक्ति पत्र जारी नही करना न्याय का उपहास है।

13. खंडपीठ ने अंततः निम्नलिखित शर्तों पर रिट याचिका को स्वीकार कर लियाः

यहां उपर की गयी चर्चाओ को ध्यान में रखते हुए, रिट आवेदन मजूर किया जाता है और अनुलग्नक एक के तहत आदेश को रदद किया जाता है और विपक्षीदल 4 व 5 को निर्देश दिया जाता है कि वह

याचिकाकर्ता को आवश्यक नियुक्ति पत्र जारी करे और ऐसी नियुक्ति उस तारीख से प्रभावी होगी जिस दिन उसके कनिष्ठो को नियुक्ति दी गयी है। हम आगे निर्देश देते है कि याचिकाकर्ता पूर्ण बकाया वेतन व वरिष्ठता की भी हकदार होगी। इस फैसले की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी किया जाए और आज से छः माह की अवधि के भीतर सभी बकाया की गणना कर याचिकाकर्ता को भुगतान किया जाए। "

14. अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल श्री मोहन जैन ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय द्वारा जारी विज्ञापन का हवाला दिया यह दिखाने के लिए कि उम्मीदवारों के नाम किसी विशेष या सामान्य रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित किए जाने चाहिए और तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी को नियुक्त करने से इंकार सही रूप से किया क्योंकि उसका नाम रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित नही किया गया था। अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल ने तर्क दिया कि भले ही प्रत्यर्थी के आवेदन पर रोजगार कार्यालय द्वारा उसके नाम को प्रायोजित करने पर जोर दिये बिना विचार किया गया था और उसका नाम मेरिट सूची में शामिल किया गया था, उसे विज्ञापित पद पर नियुक्त किये जाने की आवश्यकता नही थी और उच्च न्यायालय ने आर्थिक लाभ के साथ उसकी नियुक्ति का आदेश देकर गंभीर गलती की।

15. हमारी राय में, विद्वान अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल के तर्कों में कोंई दम नहीं है। पहली जगह में, हम यह देखना आवश्यक मानते है कि विज्ञापन में अंतर्निहित शर्त की उम्मीदवार को अपना नाम किसी विशेष रोजगार कार्यालय या किसी सामान्य रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित करवाना चाहिए, किसी कानून में शामिल अनिवार्य प्रावधान के बराबर नही किया जा सकता है जिसका उल्लंघन करने पर सम्बंधित व्यक्ति को दंडात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। रोजगार कार्यालय में रिक्तियाँ को अधिसूचित करने की सेवानिवृत्ति रोजगार कार्यालय में रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम 1959 (संक्षेप में 1959 अधिनियम) में अंतर्निहित है। 1959 अधिनियम की धारा 4 जो रोजगार कार्यालयों को रिक्तियों की अधिसूचना प्रदान करती है, इस प्रकार हैः

" 4 (1) इस अधिनिय के लागू होने के बाद वहां के किसी भी राज्य या क्षेत्र में, उस राज्य या क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक प्रतिष्ठान में नियोक्ता उस प्रतिष्ठान में किसी भी रोजगार में किसी भी रिक्ति को भरने के समय से पहले, उन्हें रोजगार कार्यालय को सूचित करेंगे जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(2) उपयुक्त सरकार अधिकारिक राजपत्र में जरिए अधिसूचना निर्दिष्ट तिथि से नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959

(घ) चक्काजाम करने के लिए किसी नियोजन में है

(ड.) संसद के कर्मचारीवृन्द से संसक्त किसी नियोजन में है।

(2) जब तक केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त अन्यथा निदिष्ट न करें यह अधिनियम उन रिक्तियों के संबंध में भी लागू न होगा--

(क) जिनके बारे में यह प्रस्थापना है कि उन्हें पदोन्नति द्वारा या उसी स्थापन की किसी शाखा या विभाग में अधिशिष्ट कर्मचारियों को लगाकर या किसी ऐसे स्वतन्त्र अभिकरण द्वारा संचालित यथा संघ या राज्य लोक सेवा आयोग और उसी प्रकार के अन्य अभिकरण द्वारा संचालित किसी परीक्षा के या किये गये किसी साक्षात्कार के परिणाम के अनुसार या ऐसे अभिकरण की सिफारिश पर भरा जाए

(ख) जो ऐसे नियोजन में है जिसमें पारिश्रमिक 60 रूपये से कम है

4. नियोजनालयों को रिक्तियाँ की अधिसूचना-

(1) किसी राज्य या उसके किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात उस राज्य या क्षेत्र में हर पब्लिक सेक्टर में के स्थापन में नियोजक उस स्थापन में किसी नियोजन में की कोई रिक्ति भरने से पूर्व यह रिक्ति ऐसे नियोजनालयों को अधिसूचित करेगा, जैसे विहित किए जाए।

(2) समुचित सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वार, अपेक्षा कर सकेगी कि प्राइवेट सेक्टर में हर स्थापन या प्राइवेट सेक्टर में

स्थापनाओ के किसी वर्ग या प्रवर्ग से सम्बंधित हर स्थापन में नियोजक उस स्थापन में किसी नियोजन में कोई रिक्ति भरने से पूर्व उस रिक्ति को ऐसे नियोजनालयों को, जैसे विहित किए जाए उस तारीख से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अधिसूचित करेगा और तदुपरि नियोजक ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करेगा

(3) वह रीति जिसको उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट रिक्तियों नियोजनालयों को अधिसूचित की जाएगी और उन नियोजनों की विशिष्टियाँ, जिनमें ऐसी रिक्तियां हुई है या होने जा रही है, ऐसी होगी जैसी विडित की जाएं।

4) उपधाराओ (1) और (2) में की किसी भी बात की बाबत यह न समझा जाएगा कि यह नियोजक पर यह बाध्यता अधिरोपित करती है कि नियोजक, उस रिक्ति को भरने के लिए कोई व्यक्ति, केवल इस कारण नियोजनालय के माध्यम द्वारा भर्ती करे कि यह रिक्ति उन उपधाराओं में से किसी के अधीन अधिसूचित की गयी है।

5. जानकारी और विवरणियां नियोजक विदित प्ररूप में देंगे (1) किसी राज्य या उसके किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, उस राज्य या क्षेत्र में हर पब्लिक सेक्टर में के स्थापन में का नियोजक, उन रिक्तियों के सम्बंध में, जो उस स्थापन में हुई है या होने जा रही है.

ऐसी जानकारी या विवरणी, जैसी विहित की जाए, ऐसे नियोजनालयों को देगा। जैसे विहित की जाए।

(2) समुचित सरकार शासकीय राजपत्र अधिसूचना दवारा अपेक्षा कर सकेगी कि प्राइवेट सेक्टर में हर स्थापना या प्राइवेट सेक्टर में स्थापन के किसी वर्ग या प्रवर्ग से संबंधित हर स्थापन में नियोजक, उन रिक्तियों के संबंध में जो उस स्थापन में हुई या होने जा रही है ऐसी जानकारी या विवरण जैसी विहित की जाए ऐसे नियोजनालयों को वैसे विहित की जाए उस तरीके से देगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट जाए और नियोजक तदुपरि ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करेगा।

(3) यह प्रारूप जिसमे और समय के वे अन्तराल जिनके उपरान्त ऐसी जानकारी या विवरण दी जायेगी और वे विशिष्टियां जो उनमें अंतर्विष्ट होगी ऐसी होगी जैसे विहत की जाए।

6. अभिलेखों या दस्तावेजों तक पहुंच का अधिकार सरकार-के ऐसे ऑफिसर की, जो इस निमित्त विदित किया जाए या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी व्यक्ति की पहुंच किसी ऐसे सुसंगत अभिलेख या दस्तावेज तक होगी जो किसी ऐसे कब्जे में है जिससे धारा 5 के अधीन कोई जानकारी या विवरण देने की अपेक्षा की गई है और वह किसी ऐसे-परिसर में, जिसके बारे में यह विश्वास करता है कि यह ऐसा अभिलेख या दस्तावेज है, युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकेगा और सुसंगत अभिलेखों

या दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा या उनकी प्रतिलिपियां हो सकगा या उस धारा के अधीन अपेक्षित कोई जानकारी अभिप्राप्त करने के लिए आवश्यक कोई प्रशन नही पूछेगा।

7. शास्तियां

(1) यदि कोई नियोजक किसी रिक्ति को, उस प्रयोजन के लिए विदित नियोजनालयों को अधिसूचित करने में धारा 4 की उपधारा (1) या उपधारा

(2) के उल्लंघन में असफल रहेगा तो वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा और हर पश्चातवर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति

16. धारा 4 की समतल भाषा की पदने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भले ही नियोक्ता को रोजगार की रोजगार कार्यालयो को रिक्तियों को सूचित करने की आवश्यकता होती है लेकिन वह केवल उन लोगों की भर्ती करने के लिए बाध्य नही है जो रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रयोजित है।

भारत संघ बनाम एल. हरगोपाल (1987) 3 एस.सी.सी. 308 में इस न्यायालय ने 1959 अधिनियम की योजना की जाचें की और पायाः

यह स्पष्ट है कि अधिनियम में जैसा कोई प्रवाधान नही है जो नियोक्ता को रोजगार कार्यालयों की एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति करने के

लिए बाध्य करता हों। वही दूसरी ओर अधिनियम की धारा (4), स्पष्ट रूप से स्प्ष्ट करता है कि नियोक्ता रोजगार कार्योलयों के माध्यम से किसी भी व्यक्तिय को भर्ती करने के लिए बाध्य नही है मुख्य रूप् से क्योकि वह रिक्ति धारा 4(1) या धारा 4(2) के तहत अधिसूचित की गयी है हम मानते है कि विद्वान अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल के लिए यह तर्क देना वास्तव में व्यर्थ था कि अधिनियम नियोक्ताओ पर रिक्तियों को अधिसूचित करने के अलावा कोई अन्य दायित्व डालता है।"

इसलिए यह स्पष्ट है कि अधिनियम का उददेश्य प्रतिबंधित करना नही है लेकिन संसद के क्षेत्र का विस्तार करना ताकि नियाेक्ता सबसे अच्छे और सबसे कुशल को चुन सके और श्रमिक को रोजगार के लिए हर दरवाजे पर दस्तक दिये बिना नियुक्ति के लिए उसके दावे पर विचार करने का अवसर प्रदान किया जा सके। इसलिए हमारा दृढ़ मत है कि यह अधिनियम किसी नियोक्ता को बाध्य नही करता कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियोजित करेगा जिन्हें रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रायोजित किया गया है। (जोर दिया गया)

17. के.बी.एन. विश्वेवरा राव के मामले में इस न्यायालय की तीन जजों की पीठ द्वारा समान प्रश्न पर विचार किया, भारत संघ बनाम एन. हरगोपाल (पूर्व) के पहले के फैसले का हवाला दिया और देखाः

"यह सामान्य ज्ञान है कि कई उम्मीदवार अपना नाम प्रायोजित नही करा पाते है, हांलांकि नाम या तो पंजीकृत है या रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होने की प्रतीक्षा कर रहे है, इसका परिणाम यह हुआ कि चयन का विकल्प केवल उन्हीं अभ्यर्थियों तक सीमित रह गया जिनके नाम रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित है। इन परिस्थितियों में कई योग्य उम्मीदवार राज्य के अन्तर्गत किसी पद नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के अधिकार से वंचित रह जाते है। बेहतर दृष्ठिकोण यह प्रतीत होता है कि मांग करने वाले प्राधिकारी / प्रतिष्ठान के लिए रोजगार कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य होना चाहिए और रोजगार कार्यालय को वरिष्ठता और मांग के अनुसार आरक्षण के अनुसत्यापन के लिए अपेक्षित विभागों को उम्मीदवारों के नाम प्रायोजित करने चाहिए। इसके अलावा उपयुक्त विभाग या उपक्रम या प्रतिष्ठान को व्यापक प्रसार करने वाले समाचार पत्रों में प्रकाशन कराकर नाम मंगाने चाहिए, और कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करें या रेडियो ठेलीविजन और रोजगार समाचार बुलेटिन पर घोषणा करे और फिर आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के मामलों पर विचार करें। यदि यह प्रक्रिया अपनायी जाती है तो फेयरप्ले के अधीन होगा। रोजगार के मामले में अवसर की समानता सभी पात्र उम्मीदवारों को उपलब्ध होगी।

18. उपरोक्त उल्लिखित निर्णयों का अनुपात मौजूदा में लागू करके हमारा मानना है कि दक्षिणपूर्व रेलवे के सम्बंधित अधिकारियों ने प्रत्यर्थी

को केवल इस आधार पर नियुक्ति देने से इन्कार कर कि उसने अपना नाम रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित नहीं कराया। एक गंभीर अवैधता की है।

19 यह मुददा दूसरे दृष्ठिकोण से विचार करने योग्य है। अपीलकर्ता ने न तो अधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले की पैरवी की थी और न ही उनके द्वारा साक्ष्य से साबित किया गया था कि अधिसूचना/विज्ञापन दिनांक 31.01.1987 की उड़ीसा राज्य के विशेष रोजगार कार्यालयों सहित सभी रोजगार कार्यालयों को भेजा गया था। इस अदालत के समक्ष भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जो यह दर्शाता है कि विज्ञापन को राज्य के रोजगार कार्यालयों में प्रसारित किया गया था। इस पृष्ठभूमि में अपीलकर्ता के रूख की प्रत्यर्थी को नियुक्त नही किया गया क्योंकि उसने अपनी उम्मीदवारी को रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित नही कराया था जो कि मंजूरी देना संभव नहीं है।

20. हम उच्च न्यायालय से भी सहमत है कि एक बार प्रत्यर्थी की उम्मीदवारी, सम्बंधित अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर ली गयी थी और उसे चयन की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गयी थी जो कि लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा, यह उनके लिए खुला नहीं था कि इस विशिष्ट आधार पर कि योग्यता सूची में उनके स्थान के अनुसार उनकी नियुक्ति पर विचार करने के लिए उनके हकदारों पर सवाल उठाएं और सवाल करे कि नाम रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया है।

21 हमारे सुविचारित दृष्ठिकोण में, प्रत्यर्थी को उसके चयन और योग्यता सूची में स्थान के बावजूद उसे नियुक्ति देने से इंकार करके अपीलांट द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत गारंटीकृत रोजगार के मामले में उसके समानता के अधिकार का उल्लंधन किया गया है।

22. जबकि उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को उस तिथि से नियुक्त करने का निर्देश, जिस तिथि में योग्यता में निचले स्तर के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था, देना पूर्णतः उचित था परन्तु पूर्वव्यापी प्रभाव से पूर्ण वेतन भुगतान हेतू दिये गये निर्देश की पुष्टि करना संभव नही है। हमारे विचार में उच्च न्यायालय को मेरिट लिस्ट के नम्बर 12 पर रखे गये व्यक्ति की तारीख से प्रत्यर्थी को वेतन को काल्पनिक रूप से निर्धारित करने का निर्देश देना चाहिए था और उसे उक्त तिथि से सभी मौद्रिक लाभ देने चाहिए।

23. परिणामतः अपील खारिज की जाती है। हालांकि विवादित आदेश के ऑपरेटिव भाग को निम्नलिखित संशोधित किया गया है

1. दक्षिण पूर्व रेलवे के सम्बंधित सक्षम प्राधिकारी आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी को तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्त करने के आदेश जारी करेंगे। प्रत्यर्थी की नियुक्ति उस तिथि से प्रभावी होगी जिस दिन योग्य सूची में क्रम सं. 12 पर अंकित व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। प्रत्यर्थी का वेतन उस तारीख से काल्पनिक रूप से तय

किया जायेगा और उसे 05.09.2008 वह तारीख जो कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निर्दिष्ट है से वास्तविक मौद्रिक लाभ दिये जायेंगे।

2. प्रत्यर्थी का वेतन भी समय समय पर शुरू किये गये वेतनमान में तय किया जाएगा और उसे चार महीने की अवधि के भीतर बकाया भुगतान कर दिया जायें।

3. तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के बीच प्रत्यर्थी की वरिष्ठता उसे योग्य सूची में दसवें नम्बर पर रखे गये व्यक्ति के नीचे रखकर तय की जायेगी।

4. यदि बीच की अवधि के दौरान, प्रत्यर्थी से कनिष्ठ किसी भी व्यक्ति को अगले उच्च पद पर पदोन्नत किया गया है, फिर पदोन्नति के लिए उसकी उम्मीदवारी पर भी विचार किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उसे उसके कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से पदोन्नत किया जायेगा और उसे सभी परिणामी लाभ दिये जायेंगे।

5. दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी को प्रताड़ित करने के लिए दूरदराज क्षेत्र में तैनात न किया जाए।

6. चूंकि प्रत्यर्थी लगातार 21 वर्षों तक अपने अधिकारों से वंचित रही है, इसलिए अपीलांट को उसे तीन लाख रूपये की लागत का भुगतान

करने का निर्देश दिया जाता है। लागत राशि का भुगतान आज से दो माह के भीतर किया जायेगा।

24. मंडल रेलवे प्रबंधक दक्षिण पूर्व रेलवे, खुर्दा रोड इस न्यायालय को पालना रिपोर्ट 22.11.2010 को या उससे पहले प्रेषित करें। रजिस्ट्री मामने को न्यायिक पक्ष में सूचीबद्ध करके रिपोर्ट को अदालत के संज्ञान में लाएगी।

25. इस आदेश की प्रतियां महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व रेलवे, गार्डन रीच कलकता, मंडल रेल प्रबंधक (पी) खुर्दा रोड जाटनी, जिला खुर्दा और प्रत्यर्थी कुमारी प्रीतिलता नंदा सुपुत्री श्री नित्यानंद नंदा, निवास-II दत्ता तोला, डाकघर/जिला पुरी, उड़ीसा

आर.पी.

मामला स्थगित

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास ' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती अनु चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उददेश्यों के लिए,, निर्णय अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के उददेश्य में भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।